कार्यालयः राँची नगर निगम, राँची।

(बाजार शाखा)
कचहरी रोड, राँची, पिन नं०–834001
E-mail ID- support@ranchimunicipal.com

पत्रांकः–753/बा०2710/ दिनांकः–12-08-2022

प्रस्ताव आमंत्रण

एतद् द्वारा निगम भूमि/भवन/चौक–चौराहों एवं पार्कों पर कुछ शर्तों के अधीन मोबाईल टावर –सह– हाईमास्ट अधिष्ठापित करने हेतु दिनांकः–30/08/2022 के 04.00 बजे तक प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। प्राप्त प्रस्तावों को दिनांकः–25/08/2022 को अपराहन् 04.00 बजे खोला जायेगा। इस संबंध में शर्तों एवं अन्य जानकारी राँची नगर निगम के **Website- www.ranchimunicipal.com** पर उपलब्ध है।

अपर नगर आयुक्त,
राँची नगर निगम, राँची।

Scanned with CamScanner

कार्यालयः राँची नगर निगम, राँची।

(बाजार शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन नं०–834001

E-mail ID- support@ranchimunicipal.com

पत्रांकः– 751 / बा० 2/10/ दिनांकः– 10-08-2022

कार्यालय आदेश

निगम भूमि/भवन/चौक–चौराहों एवं पार्को पर मोबाईल टावर–सह–हाईमास्ट अधिष्ठापित करने हेतु मोबाईल कम्पनियों से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए नगर आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है। निगम भूमि/भवन/चौक–चौराहों एवं पार्को पर निम्न शर्त्तों के अधीन मोबाईल टावर–सह–टावर अधिष्ठापित करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता हैः–

(1) चौक–चौराहों पर पूर्व से अधिष्ठापित हाईमास्ट लाईट पर मोबाईल एंटीना लगाने की अनुमति संबंधित एजेन्सी को इस शर्त के साथ दिया जायेगा कि हाईमास्ट लाईट का संधारण एवं संपोषण उनके द्वारा निःशुल्क किया जाएगा तथा Zone A के लिये 16,885/– रू० तथा Zone B के लिय 14,070.92/– रू० एवं Zone C के लिये 11,256.74/– रू० मासिक किराया लिया जायेगा। (Zone का विवरण अनुलग्नक "क" में संलग्न)

(2) वैसे चौक–चौराहों में, जिन पर पूर्व में हाईमास्ट अधिष्ठापित है, उसे संबंधित एजेन्सी अपने खर्च से बदल सकते है।

(3) वैसे चौक–चौराहें जिन पर पूर्व से हाईमास्ट अधिष्ठापित नहीं है वहाँ इच्छुक एजेन्सी अपने खर्च से नया हाई मास्ट अधिष्ठापित कर सकती है। शेष शर्ते कंडिका "1" के अनुसार यथावत् रहेंगे।

(4) पूर्व में सभी हाईमास्ट लाईट का विद्युत संयोजन रांची नगर निगम के नाम पर है, उससे संबंधित एजेन्सी को आवेदन पत्र देकर विद्युत बोर्ड से नाम Transfer करवाना होगा।

(5) हाईमास्ट लाईट के विद्युत विपत्र आदि का भुगतान संबंधित कम्पनी को स्वयं करना होगा, निगम की किसी प्रकार की देनदारी नहीं होगी।

(6) पार्क में अधिष्ठापित किये जाने वाले टावर के मध्य में संबंधित कम्पनी के द्वारा हाई मास्ट लाईट की व्यवस्था की जायेगी जिसका संधारण एवं संपोषण उनके द्वारा निःशुल्क किया जायेगा तथा Zone wise निर्धारित मासिक किराया भुगतान किया जायेगा।

(7) निगम के स्वामित्व वाले भवन एवं भूमि पर टावर अधिष्ठापित करने वाले एजेन्सी को किराया Zone Wise भुगतेय होगा।

(8) चौक–चौराहों /पार्को में नया हाईमास्ट लाईट लगाने के पूर्व स्थल का सत्यापन नगर निगम से करवाना अनिवार्य होगा।

(9) भवन/भूमि मोबाईल टावर अधिष्ठापित करने के संबंध में मोबाईल टावर अधिष्ठापित करने के पूर्व Jharkhand Communication Tower Managment के अन्तर्गत बनायी गयी समिति से प्राप्त NOC की छायाप्रति उपलब्ध कराना होगा।

(10) किसी परिस्थिती में यदि कम्पनी अपना मोबाईल टावर हटाना चाहती है तो टावर के साथ लगी हुई हाईमास्ट लाईट निगम की परिसंपत्ति मानी जायेगी और इसपर किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Scanned with CamScanner

(11) एक स्थल या टावर पर एक से अधिक आवेदन आने पर शेयर करने की व्यवस्था रहेगी। ऐसे में सभी आवेदकों की सहमति आवश्यक होगी। प्रत्येक अतिरिक्त आवेदक पर अतिरिक्त किराया लिया जाएगा जो मूल किराया का 50 प्रतिशत होगा एवं सभी आवेदकों को कुल किराया बराबर हिस्से में वहन करना होगा। प्रत्येक अतिरिक्त आवेदक को नियमानुसार NOC नगर निगम से अलग–अलग प्राप्त करना होगा।

(12) किसी भी प्रकार की वैधानिक/तकनीकी/यांत्रिक/सुरक्षा मानकों/दुर्घटना के लिये संबंधित कम्पनी उत्तरदायी होगी। निगम इसके लिये किसी भी रूप में जिम्मेवार नहीं होगा।

(13) एकरारनामा की अवधि 05 (पाँच) वर्षों के लिये होगी। प्रतिवर्ष नवीकरण कराना होगा। कार्य संतोषजनक होने पर अगले 05 (पाँच) वर्षों का विस्तार किया जायेगा।

(14) मोबाईल टावर–सह–हाईमास्ट लगाने से पूर्व स्थल का सत्यापन एवं निर्धारण निगम से कराना होगा।

(15) किराया का भुगतान Possession प्राप्त करने की तिथि से करना होगा।

(16) प्रशासनिक या तकनीकी कारणों से किसी भी स्थल का आवंटन रद्द करने का अधिकार नगर आयुक्त, राँची नगर निगम को सुरक्षित रहेगा।

(17) प्रतिवर्ष किराये में 5% की वृद्धि की जायेगी।

(18) संबंधित एजेन्सी को निगम के साथ एकरारनामा भी करना होगा।

(19) विशेष जानकारी बाज़ार शाखा से कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

अपर नगर आयुक्त,
राँची नगर निगम, राँची।

Scanned with CamScanner

Zone – A

1 कचहरी चौक से राजेन्द्र चौक भाया फिरायालाल।
2 राजेन्द्र चौक से हिनू चौक भाया देवेन्द्र मांझी चौक।
3 राजेन्द्र चौक से विवेकानन्द चौक भाया अम्बेदकर चौक।
4 रातु रोड चौक से कांटा टोली चौक तक भाया कचहरी चौक

Note - इस रूट में पड़ने वाले सभी चौक के 100 मीटर के परिधी में जो क्षेत्र आयेगा वह भी इस जोन में माना जायेगा।

Zone – B

1 हिनू चौक से 100 मीटर की दूरी से प्रारम्भ करते हुये HEC गेट तक भाया बिरसा चौक।
2 HEC गेट से रातु रोड रोड चौराहे के 100 मीटर पहले तक।
3 रातु रोड चौराहा से राजभवन की ओर जाने वाली सड़क के 100 मीटर छोड़कर हिन्दुस्तानी ढाबा तक भाया एल0पी0एन0 शाहदेव चौक।
4 एल0 पी0 एन0 शाहदेव चौक से कचहरी चौक से 100 मीटर पहले तक भाया SSP आवास।
5 SSP आवास से बुटी मोड़ भाया करम टोली चौक।
6 बुटी मोड़ से कांटा टोली 100 मीटर पहले तक।
7 कांटा टोली चौक से 100 मीटर छोड़कर सुजाता चौक के 100 मीटर पहले तक भाया सिरमटोली चौक तक।
8 सिरमटोली चौक से ओवरब्रिज से 100 मीटर पहले तक भाया स्टेशन पटेल चौक।
9 पटेल चौक से सिरमटोली चौक तक।
10 अरगोड़ा चौक से कडरू ओवरब्रिज तक।
11 सर्जना चौक से 100 मीटर छोड़कर डंगराटोली चौक के 100 मीटर पहले तक।
12 फिरायालाल चौक से 100 मीटर छोड़कर लालपूर चौक के 100 मीटर पहले तक।
13 फिरायालाल चौक से 100 मीटर छोड़कर करमटोली चौक तक।
14 रातु रोड चौराहा से 100 मीटर छोड़कर ।T। बस स्टैण्ड तक।

Note – इस रूट में पड़ने वाले पथ एवं सभी चौक के 100 मीटर के परिधी में जो क्षेत्र आयेगा वह भी इस Zone में माना जायेगा।

Zone – C

1 उपरोक्त दो Zone को छोड़कर शेष प्रक्षेत्र Zone C माना जायेगा।

Scanned with CamScanner